



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No. 2025/HQ/Admin/RTI-364

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

New Delhi: 18.06.2025

श्री संतोष कुमार
पुत्र स्व० पूरनलाल
निवासी ग्राम दौलतपुर लोहिया,
पोस्ट चांदनपुर, जनपद इटावा,
उत्तर प्रदेश-206126
मोबाइल-9453927835

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 19.05.2025, जो इस कार्यालय में दिनांक 26.05.2025 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री दरोगा लाल यादव,
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
Email ID: dlyadav@dfcc.co.in
मोबाइल-8368028905
DFCCIL कॉर्पोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स
सेक्टर-145, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306

संलग्न: 03 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

अपर महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

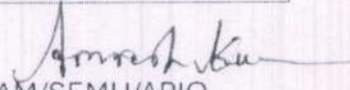
9717636811

विषय - श्री संतोष कुमार द्वारा आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना।

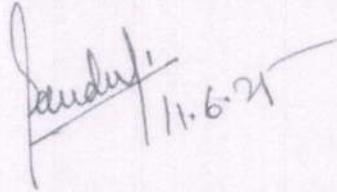
संदर्भ: RTI. No: 364 dated 26.05.2025.

क्रम संख्या	जानकारी मांगी गई	जवाब
1	DFCCIL द्वारा नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम (RFCT-LARR-2013) कब से अंगीकृत किया गया है। अंगीकृत किये जाने की घोषणा के दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	भारत सरकार द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार 2013 (RFCTLARR 2013) के क्रम में रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2009/INFRA/3/1/10 Pt 2 दिनांक 23.05.2015: यह पत्र DFC परियोजना के लिए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार Entitlement Matrix (हकदारी मैट्रिक्स) के अनुमोदन से संबंधित है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि Entitlement Matrix 1 जनवरी 2015 से प्रभावी है। डोमेन लिंक https://dfccil.com/upload/Entitlement_Matrix_for_DFC_Project_in_accordance_with_New_Land_Aquisition_Act_2013.pdf -इस दस्तावेज के पेज 2 पर "S.N. ENTITLEMENT MATRIX. (Effective from January 1, 2015)" लिखा हुआ है, जो यह स्पष्ट करता है कि नया अधिनियम DFCCIL परियोजनाओं के लिए इस तिथि से प्रभावी है।
2	DFCCIL का पत्र HQ/SEMU/ENTITLEMENT MATRIX/2015 दिनांक 13.04.2015 की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	DFCCIL का पत्र HQ/SEMU/ENTITLEMENT MATRIX/2015 दिनांक 13.04.2015 की प्रति संलग्न हैं
3	पुरानी परियोजनाओं में RFCT-LARR-2013 की धारा-24 किन-किन परिस्थितियों में लागू होगी। DFCCIL की घोषित नीति का विवरण मानक के दस्तावेज सहित उपलब्ध कराने की कृपा करें।	RFCT-LARR-2013 का Domain Link - https://bhoomirashi.gov.in/auth/revamp/la_act.pdf दिए गए लिंक से इस दस्तावेज को Download किया जा सकता है एवं RFCT-LARR-2013 की धारा-24 को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

4	DFCCIL द्वारा 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को अंगीकृत करने के फलस्वरूप देय धनराशि उच्चिकृत होने पर विश्व बैंक द्वारा किये गये उच्चिकरण (Upgradation) के दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	भूमि अधिग्रहण के लिए विश्व बैंक के द्वारा विशेष वित्तपोषण नहीं की गई हैं।
5	विश्व बैंक द्वारा नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम परियोजना पर प्रभावी होने के पूर्व से जारी अर्जन पर RFCT-LARR-2013 की धारा-24 के अन्तर्गत होने वाले उच्चिकरण के लिये भी उच्चिकृत धनराशि आवण्टित करने का कोई प्रस्ताव स्वीकार किया गया है दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	विश्व बैंक के द्वारा नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम परियोजना पर प्रभावी होने के पूर्व उच्चिकृत धनराशि आवण्टित करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।


AM/SEMU/APIO
11.06.2025

GM/LA&SEMU


11.6.25

AGM/Admn (PIO)

Dated: 13.04.2015

No. HQ/SEMU/Entitlement Matrix/2015

Adviser (Infrastructure),
Railway Board,
Ministry of Railways,
Rail Bhawan,
New Delhi-110001

Sub.: Approval of draft Revised Entitlement Matrix as per new LA Act-2013.

Ref.: i). This office letter of even No. dated 04.03.2015.
ii). Railway board's letter no.2009/Infra/3/1/10/Pt.II dated 27.03.2015.

1.0 Vide this office letter dated 04.03.2015 (ref i above), Railway Board was requested to approve "Draft Revised Entitlement Matrix" as proposed vide Annexure-II for applicability of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act - 2013" (RFCT-LARR Act-2013) for payment of Land compensation as well as Resettlement and Rehabilitation (R&R) compensation to PAPs in DFCCIL project.

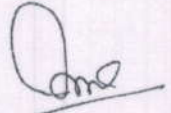
2.0 Vide letter dated 27.03.2015 (ref.ii above), Railway Board has advised that schedule I, II & III of new LA Act, 2013 has been enacted to RAA, 2008 from 01.01.2015: As such, all compensation and R&R for the land to be acquired by DFCCIL, be paid accordingly.

3.0 The draft Entitlement Matrix as per new LA Act-2013 has been discussed with Railway Board officials this version has been suitably modified as per the discussion.

4.0 In view of above, draft Entitlement Matrix as per new LA Act-2013 is resubmitted for kind approval. In case, there is delay in approving complete Entitlement Matrix, at least First Schedule of Entitlement Matrix may be approved immediately. Railway Board is also requested to issue detailed instructions regarding employment.

This has the approval of MD

DA: As above


(Anshuman Sharma
Director/P

Copy to:

Executive Director (L&A-I), Railway Board -for information and necessary action
please

